तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जा रहा है।

Outstanding duty drawback claims of Delhi exporters

2713. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that customs procedure has held up duty drawback claims of atleast one thousand exporters of Delhi;

(b) if so, the total amount held up; and

(c) whether Government propose to take further steps to simplify the procedure and if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) No duty drawback claims have been unduly held-up in processing due to customs procedure. Duty drawback claims are settled by issue of cheques on Punjab National Bank in the names of the exporters. However, due to non-supply of cheque books, during the month of June, 1994, some pendency of duty drawback payments had arisen during that month which has since been cleared.

(b) Non applicable at present in view of (a) above.

(c) To further expedite the disbursal of duty drawback, the procedures are constantly reviewed so as to steamline the settlement of drawback claims.

फोर्ड फाउन्डेशन की गतिविधियां

2714. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फोर्ड फाउन्डेशन और रोकफेलर फाउन्डेशन की भारत में क्या-क्या गतिविधियां हैं;

(ख) इनकी गतिविधियों पर किस प्रकार निगरानी रखी जाती है;

(ग) क्या सरकार को इनकी गतिविधियों के बारे में कोई आपत्तिजनक बात मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) फोर्ड फाउन्डेशन और रोकफेलर फाउन्डेशन शैक्षिक, वैज्ञानिक, साक्षरता और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए लाभ अर्जित न करने वाले स्वैच्छिक संगठनों, विश्वविद्यालयों अनुसंधान संस्थाओं और कुछ सरकारी अभिकरणों को वित्तय अनुदान सहायता प्रदान करते हैं। ये संगठन लोगों की विदेश में उनके प्रशिक्षण/अध्ययन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं।

(ख) वित्तीय अनुदानग्राही को सहायता प्रदान करने से पूर्व फोर्ड फाउंडेशन और रोकफेलर फाउन्डेशन को प्रत्येक अनुदान से संबंधित प्रस्ताव पर भारत सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके इन प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है और केवल उपयुक्त मामलों में ही सहमति दी जाती है। इन संगठनों द्वारा प्रदत्त अनुदान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत भी विनियमित होता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए सवाल पैदा नहीं होते।

Financing by IFCI

2715. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether IFCI is financing partially or fully various industrial units in Andhra Pradesh;

(b) if so, the sanctions accorded for financing industries in Andhra Pradesh in 1993-94 and in the current year upto 30th June, 1994;

(c) the names of such units and amounts, respectively;

(d) whether various auditing agencies have pointed out that late and delayed disbursals are the primary cause of non-profitability of IFCI; and

(e) if so, the details of such reports?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) The Industrial Finance Corporation of India Limited (IFCI) has reported that it is providing financial assistance to projects set up/proposed to be set up in the State of Andhra Pradesh in the industrial/services sector. Normally, IFCI provides financial assistance to medium/large sized projects with a capital outlay of more than Rs. five crores. The financial requirements of the projects are met by IFCI either alone or in consortium with other term lending institutions including banks. During the year 1993-94 (April-March) IFCI has provided financial assistance to 32 projects to the extent of Rs. 224.58 crores and during April 1994—June 1994 the assistance sanctioned to projects in Andhra Pradesh amounted to Rs. 92.61 crores in respect of six projects.

(c) In view of the provisions of Public Financial Institutions (Obligation as to Fidelity and Secrecy) Act, 1983, the unit-wise details can not be divulged.

(d) No instances of irregularity/delay in the matter of disbursal of financial assistance has been brought to the attention of IFCI by the statutory auditors.

(e) Does not arise.

जापान से ऋण

2716. **श्री इकबाल सिंह:** क्या वित्त यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार ने पेरिस में हुई विकास मंच की बैठक में भारत की कुछ परियोजनाओं के लिए वर्ष 1994-95 हेतु 39.20 बिलियन रुपए का उदार ऋण देने का कोई आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण पर ब्याज की दर कितनी होगी और यह ऋण कितने वर्षों में चुकता कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जापान सरकार ने पेरिस में हुई भारत विकास मंच की बैठक में वर्ष 1994-95 के लिए 125.756 बिलियन येन (लगभग 3920 करोड़ रुपए) के अधिकारिक तौर पर विकास सहायता ऋण देने का आश्वासन दिया है।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राशि बिलियन येन में
1.	सरिसेलम लेफ्ट् बैंक हाइड्रो-पावर स्टेशन परियोजना (चरण-II)	22,567
2.	सरिसेलम पावर ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना (चरण-II)	9,546
3.	आसाम गैस पावर स्टेशन एवं ट्रांसमिशन लाइन कन्सट्रेक्शन परियोजना (चरण-III)	15,821
4.	बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन एक्सटेंशन परियोजना	8,659
5.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज स्कीम परियोजना	20,520
6.	लाइफ एक्सटेंशन ऑफ काठगोदाम ए थर्मल पावर स्टेशन परियोजना	5,092
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 की चार-लेन परियोजना (चरण-III)	5,836
8.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 की चार-लेन परियोजना	4,827
9.	मद्रास जल व मलव्ययन प्रणाली परियोजना	17,098
10.	भोपाल की ऊपरी व निचली झीलों का संरक्षण परियोजना	7,055
11.	औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण परियोजना	4,525
12.	राजस्थान वनारोपण परियोजना	4,219

(ग) ऋण पर ब्याज की दर 2.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी और ऋण की वापसी 10 वर्षों की छूट अवधि सहित 30 वर्षों में करना होगी।